Regional Office (South)
Rajasthan State Pollution Control Board
8/263, Malviya Nagar, Jaipur 302017
Phone: 0141-4068311, e-mail: ro.jaipursouth@gmail.com

LiFE Lifestyle for Environment

F.No. RPCB/ROJP/S/Leg-47/ 329 Date: 28/5/24

To,

The Register General
National Green Tribunal
Centeral Zonal Bench,
Bhopal-462011 (M.P.)

Sub:- Report of joint committee constituted in O.A. No.43/2024 (CZ) in the matter of Durga Prasad Meena V/s State of Rajasthan & Others.

Ref:- Hon'ble NGT order dated 01.04.2024.

Sir,

With reference to above, please find enclosed herewith report of joint committee constituted in O.A. No.43/2024 (CZ) in the matter of Durga Prasad Meena V/s State of Rajasthan & Others. Submitted for kind consideration please.

Yours Sincerely,

Encl:- As above

(Neeraj Sharma)
Nodal Officer

REPORT OF JOINT COMMITTEE CONSTITUTED IN O.A. NO. 43/2024 (CZ) IN THE MATTER OF DURGA PRASAD MEENA V/S STATE OF RAJASTHAN & OTHERS ORDER DATED 01.04.2024 PASSED BY HON'BLE TRIBUNAL

1. That Hon'ble National Green Tribunal has been pleased to passed order dated 01.04.2024 and constituted a joint committee consisting:-

   i. ***District Collector, Dausa.***

   ii. ***One Representative from Rajasthan State Pollution Control Board.***

   Hon'ble Tribunal directed the aforesaid committee to visit the place and submit the factual and action taken report within in six week. The State Pollution Control Board will be a nodal agency for coordination and logistic support.

2. That in pursuance to order dated 01.04.2024 District Collector appointed Sub- Divisional Officer, Sainthal, Dausa and State Pollution Control Board appointed Regional Officer, Jaipur (South). A copy of the orders are submitted herewith and marked as **Annexure-1.**

3. That, thereafter, it has been decided that a joint inspection should be held by the joint

committee on 02.05.2024 and concern departments as under:-

i. ***Sub- Divisional Officer, Sainthal, Dausa. (nominated by the District Collector, Dausa).***

ii. ***Regional Officer, Rajasthan State Pollution Control Board, Jaipur (South).***

iii. ***Assistant Mining Engineer, Dausa.***

In pursuance to aforesaid decision, a joint inspection was held on 02.05.2024. Prior to aforesaid joint inspection proper acknowledgement/information has been given to the applicant Sh. Durga Prasad Meena through SMS and Mobile conversation. Applicant informed that he is not able to present at the site. It is further submitted that, thereafter, a joint inspection was held on 02.05.2024 and it was observed that there are two illegal mining pits on the hills. There was no mining activity or blasting observed during inspection. It is evident that illegal mining was carried out in the past. A Jawala Mata Mandir seen on the hill and there was not any damage observed. An abundant ancient structure was also seen on the hill, as per villagers which is known as Rani

Ratnawati Maahal, It seems that this structure has abundant since long. Scattered population was also observed around 60 to 70 meters and dense population around 300 meter from the illegal mining pits. The committee has also directed to Mining Department for strict vigilance, establish a choki with guard at the site, obstruct the path to reach the illegal mining pits and ensure no illegal mining done in future. The committee also took photograph of the site inspection which are annexed along with joint inspection report. A copy of the joint inspection report dated 02.05.2024 along with Photograph is submitted herewith and marked as **Annexure-2**.

4. That Mining Department submitted report in compliance of the direction given by the joint committee on 02.05.2024 that choki with guard has established for strict vigilance and has obstruct the path to reach the illegal mining pits to ensure no illegal mining done in future. A copy of the compliance report submitted by Mining Department along with Photograph is submitted herewith and marked as **Annexure-3**.

5. That applicant Sh. Durga Prasad Meena (Sarpanch) Gram Panchayat- Titarwada Kalan reported to Sub-Divisional Officer on 30.03.2024 that no illegal mining is being done since last two and half months. A copy of the letter dated 20.03.2024 is submitted herewith and marked as **Annexure-4**.

Report is being submitted for kind perusal of Hon'ble Tribunal.

(Narendra Kumar Meena)
Sub- Divisional Officer,
Sainthal, Dausa

(Neeraj Sharma)
(Regional Officer)
R.S.P.C.B., Jaipur
(South)

(Neeraj Sharma)
Regional Officer, RSPCB
Jaipur (South)

Rajasthan State Pollution Control Board

Headquarter, 4, Institutional Area, Jhalana Doongri, Jaipur-302004

Phone : 0141- 2716804, 2716800 e-mail : member-secretary@rpcb.nic.in

Helpline No. : 0141-2716877

No. F.10 (563) RPCB/Legal/NGT/2024 / 40 Date: 08/04/24

Regional officer,
Rajasthan State Pollution Control Board,
Jaipur (South)

Sub: - Hon'ble National Green Tribunal, Bhopal order dated 01.04.2024 in Original Application No. 43/2024 (CZ), Durga Prasad Meena V/s State of Rajasthan & Ors.

Sir,

With reference to above subject, it is to inform that the Hon'ble NGT has passed an order dated 01.04.2024 and directed inter-alia as follow:-

> ***3. In the circumstances of the case, we deem it proper to implead the following as respondents in this OA:***
>
> ***(i) District Magistrate, Dausa, Rajasthan***
>
> ***ii) One Representative from the Rajasthan State Pollution Control Board***
>
> ***4. The Committee is directed to visit the place and submit the factual and action taken report within six weeks.*** **. The State PCB will be the nodal agency for coordination and logistic support.**

You are hereby nominated as member of the committee on behalf of RSPCB with the direction to ensure compliance of Hon'ble NGT order dated 01.04.2024. The Hon'ble NGT order dated 01.04.2024 is being enclosed for ready reference.

Enclosed-As above

(Vijai N.)
Member Secretary

Copy to following for Information and for further necessary action –

1. District Collector , Dausa, Rajasthan

Member Secretary

RajKaj Ref
6551728

Signature valid
Digitally signed by N Vijai
Designation : Member Secretary
Date: 2024.04.08 17:32:52 IST
Reason: Approved

राजस्थान सरकार

कार्यालय कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, दौसा

क्रमांक/विधि/(NGT)/2024/ 492 दिनांकः 7/03/2024

::आदेश::

माननीय हरित न्यायाधिकरण, सेंट्रल जोनल बेंच, भोपाल द्वारा प्रेषित नोटिस अनुसार माननीय हरित न्यायाधिकरण, प्रिंसिपल बेंच दिल्ली के प्रकरण (O.A. No.) मूल आवेदन संख्या 14/2024-PB, Durga Prasad Meena V/s State of Rajasthan में पारित आदेश दिनांक 15.02.2024 द्वारा प्रकरण सेंट्रल जोनल बेंच, भोपाल से संबंधित होने के कारण मूल आवेदन संख्या को आगामी कार्यवाही हेतु सेंट्रल जोनल बेंच, भोपाल को स्थानांतरित किया गया हैं। जिसे सेंट्रल जोनल बेंच, भोपाल द्वारा (O.A. No.) मूल आवेदन संख्या 43/2024(CZ) के रूप में पंजीकृत किया गया हैं। प्रकरण में आगामी सुनवाई दिनांक 01.04.2024 से पहले जवाब दाखिल करने हेतु नोटिस प्रदान किया गया हैं। प्रकरण ग्राम तीतरवाड़ा खुर्द व तीतरवाड़ा कलां की पहाड़ी (खसरा नंबर 1584, किस्म चरागाह) में हो रहे अवैध खनन से संबंधित हैं।

अतः माननीय हरित न्यायाधिकरण, सेंट्रल जोनल बेंच, भोपाल के प्रकरण (O.A. No.) मूल आवेदन संख्या 43/2024(CZ), Durga Prasad Meena V/s State of Rajasthan & Oth. में उपखण्ड अधिकारी, सैंथल को प्रभारी अधिकारी नियुक्त करते हुए निर्देशित किया जाता है कि उक्त प्रकरण से संबंधित तथ्यात्मक रिपोर्ट संपादित कर, सुसंगत दस्तावेजों सहित अविलंब माननीय न्यायाधिकरण के समक्ष जवाब प्रस्तुत कराते हुए राज्य पक्ष की ओर से प्रभावी पैरवी/प्रतिरक्षण की कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें एवं प्रकरण की प्रगति/यथास्थिति से समय-समय पर इस कार्यालय को अवगत कराया जाना सुनिश्चित करें।

जिला कलक्टर
दौसा

क्रमांक/विधि/(NGT)/2024/ 493-494 दिनांकः 7/03/2024

प्रतिलिपिः- निम्नांकित को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं:-

1. उपखण्ड अधिकारी, सैंथल (प्रभारी अधिकारी) को पालनार्थ प्रेषित हैं।
2. सहायक खनिज अभियंता, खनिज विभाग दौसा को उक्त प्रकरण में सहायक प्रभारी अधिकारी नियुक्त कर निर्देशित किया जाता हैं कि प्रकरण में नियुक्त प्रभारी अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी, सैंथल) को प्रकरण से संबंधित तथ्यात्मक रिपोर्ट संपादित कराने में यथासहयोग प्रदान किया जाना सुनिश्चित करें।

जिला कलक्टर
दौसा

NGT Matters

RajKaj Ref
5954800

Document certified by Devendra Kumar <devendrathekumar@gmail.com>.
Digitally Signed by DEVENDRA KUMAR
Designation :Collector & District Magistrate
Date :07-03-2024 10:22:39

Email I'd:- dlrdausa144@gmail.com (Legal Section, Room No. 144)

Scanned with OKEN Scanner

मौका रिपोर्ट

माननीय राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, जोनल बैन्च भोपाल द्वारा O.A No. 43/2024 (CZ) में पारित आदेश दिनांक 1/4/24 के द्वारा संयुक्त कमेटी का गठन किया गया।

संयुक्त कमेटी के सदस्यो के द्वारा मौका निरीक्षण किया गया जो कि निम्नानुसार है:-

(1) उपखण्ड अधिकारी, सैन्थल (कलेक्टर प्रतिनिधी)

(2) क्षेत्रीय अधिकारी, रा०प्र०नि०म० जयपुर (दक्षिण)

(3) सहायक खनि अभियन्ता, खनिज विभाग दौसा (सम्बन्धित विभाग)

संयुक्त जाँच कमेटी द्वारा शिकायतकर्ता श्री दुर्गाप्रसाद मीणा (सरपंच तीतरवाडा कलां) से मोबाईल पर सम्पर्क कर मौके पर पहुँचने हेतु निवेदन किया गया, उनके द्वारा मौके पर पहुँचने में असमर्थता व्यक्त की गई। संयुक्त कमेटी द्वारा खसरा संख्या - 1584 का मौका मुआयना करने पर पाया गया कि उक्त खसरा राजस्व रिकार्ड अनुसार चारागाह भूमि में स्थित पहाड जो कि अरावली में आता है, मे दो स्थानो पर पूर्व मे किया गया अवैध खनन देखा गया। निरीक्षण के दौरान अवैध खनन, मशीनो का उपयोग

खनिज होना नहीं पाया गया। ...
अवैध खनन पिटो के बीच मे ज्वाला माता मन्दिर है जिसमे मन्दिर मे दरार / क्षति होना नही देखा गया। इसके साथ ही खण्डरनुमा ढाँचा देखा गया, स्थानीय नागरिको द्वारा बताया गया कि यह रानी रत्नावती का महल था, मौका स्थिति से प्रतीत होता है कि उक्त ढाँचा बहुत बर्षो पूर्व ही क्षतिग्रस्त हो चुका है। उक्त खसरा से लगभग 60-70 मीटर पर दिलराई आबादी एवं लगभग 300 मीटर पर घनी आबादी देखी गई। स्थानीय निवासियो द्वारा बताया गया कि गत 4-5 माह से किसी भी प्रकार की खनन गतिविधी उक्त क्षेत्र मे नही देखी गई। मौके पर ही संयुक्त समिति के सदस्यो द्वारा सहायक खनि अभियन्ता खनिज विभाग दौसा को निर्देशित किया गया कि उक्त अवैध खनन पिटो तक पहुँचने वाले रास्तो को गड्डा कर अवरूद्ध किया जावे एवं अवैध खनन नही हो इसकी निगरानी बढाकर सुनिश्चित किया जावे। मौका स्थल पर फोटोग्राफ्स लिये गये जो संलग्न है।

[signature] 4/1/2024

[signature] सदस्य लक्ष्मी चन्द मीना (स० ख० अ० दौसा)

[signature] सदस्य ... (क्षेत्रीय अधिकारी रा० प्र० नि० मं० जयपुर (द))

(उपखण्ड अधिकारी सिकराय)

Photographs Taken during Joint Inspection on 02.05.2024

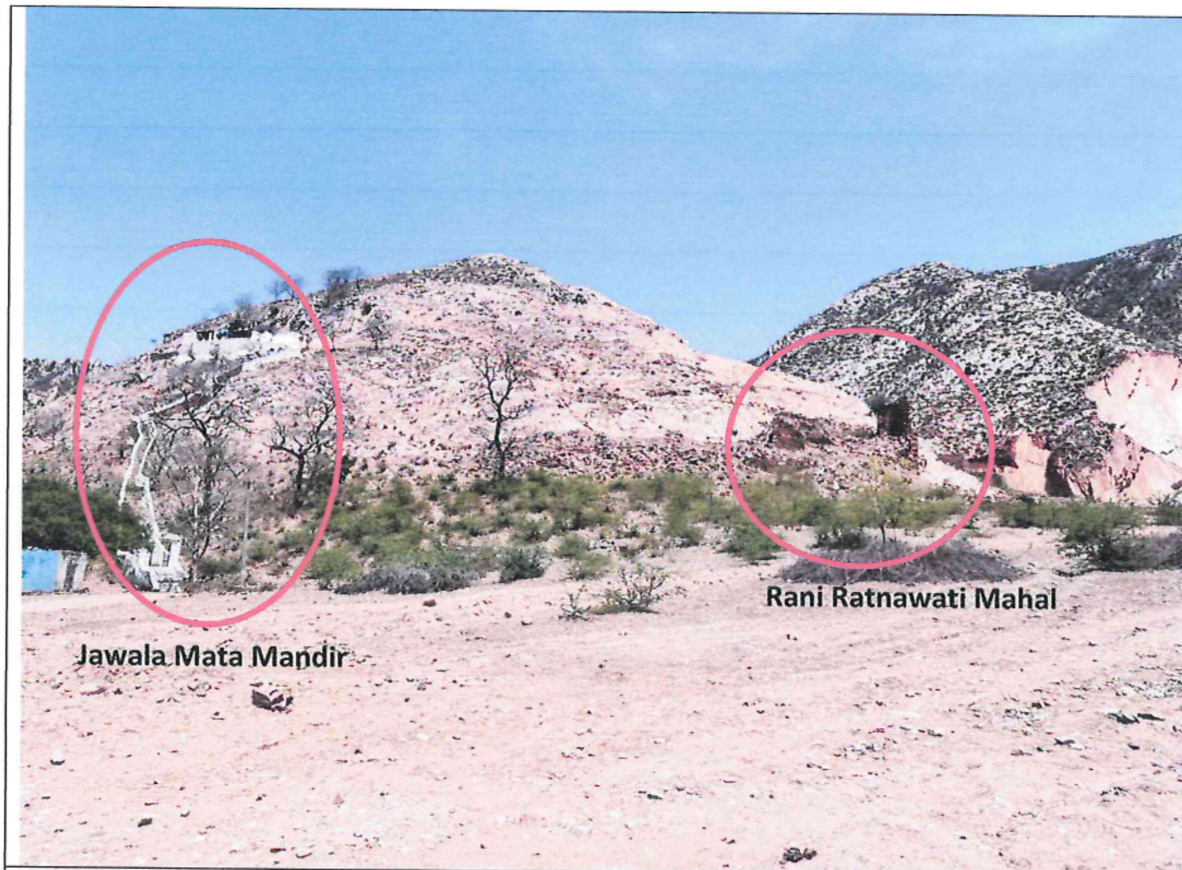

Photograph Showing Jawala Mata Mandir and Rani RatnawatiMahal

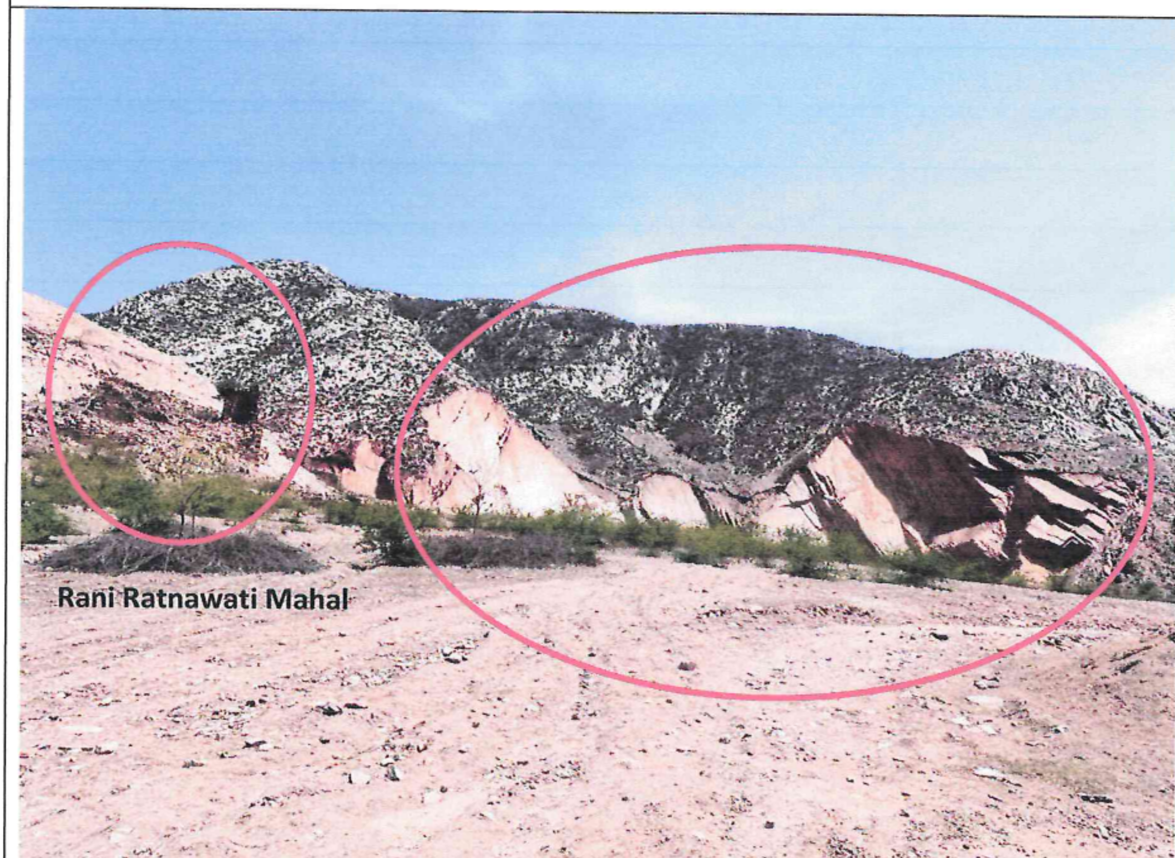

Photograph Showing Mining Pit at the side of Rani RatnawatiMahal

Photographs Taken during Joint Inspection on 02.05.2024

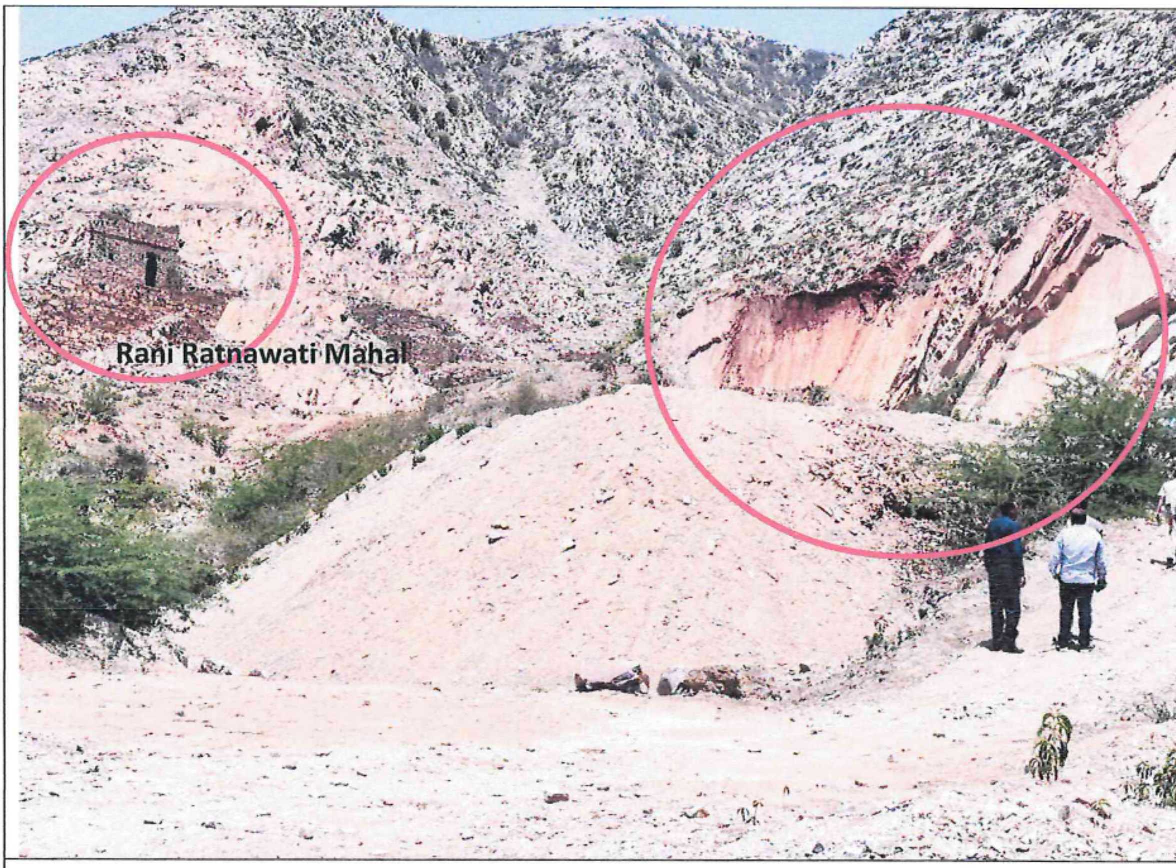

Photograph Showing Mining Pit at the side of Rani RatnawatiMahal

Inspection of the Rani RatnawatiMahal side mining pit by Joint team

Photographs Taken during Joint Inspection on 02.05.2024

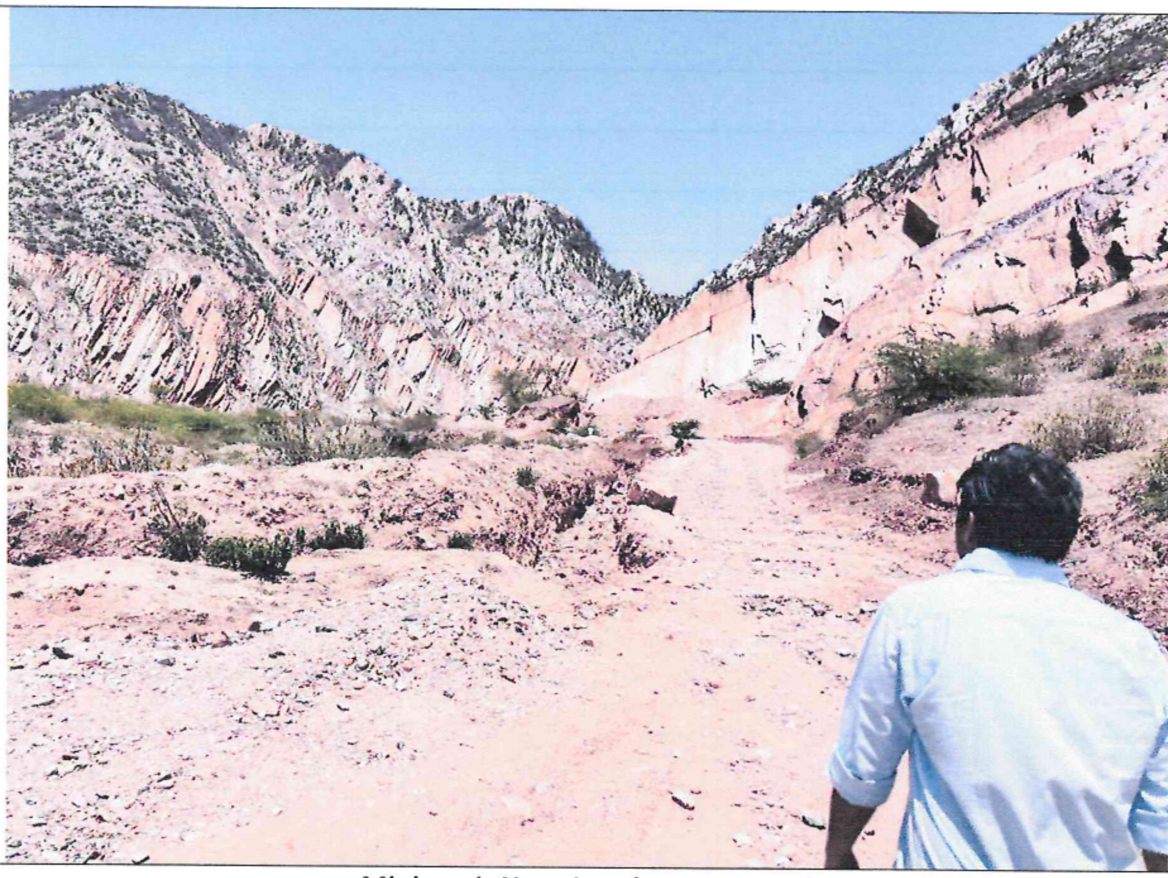

Mining pit Near Jawala Mata Mandir

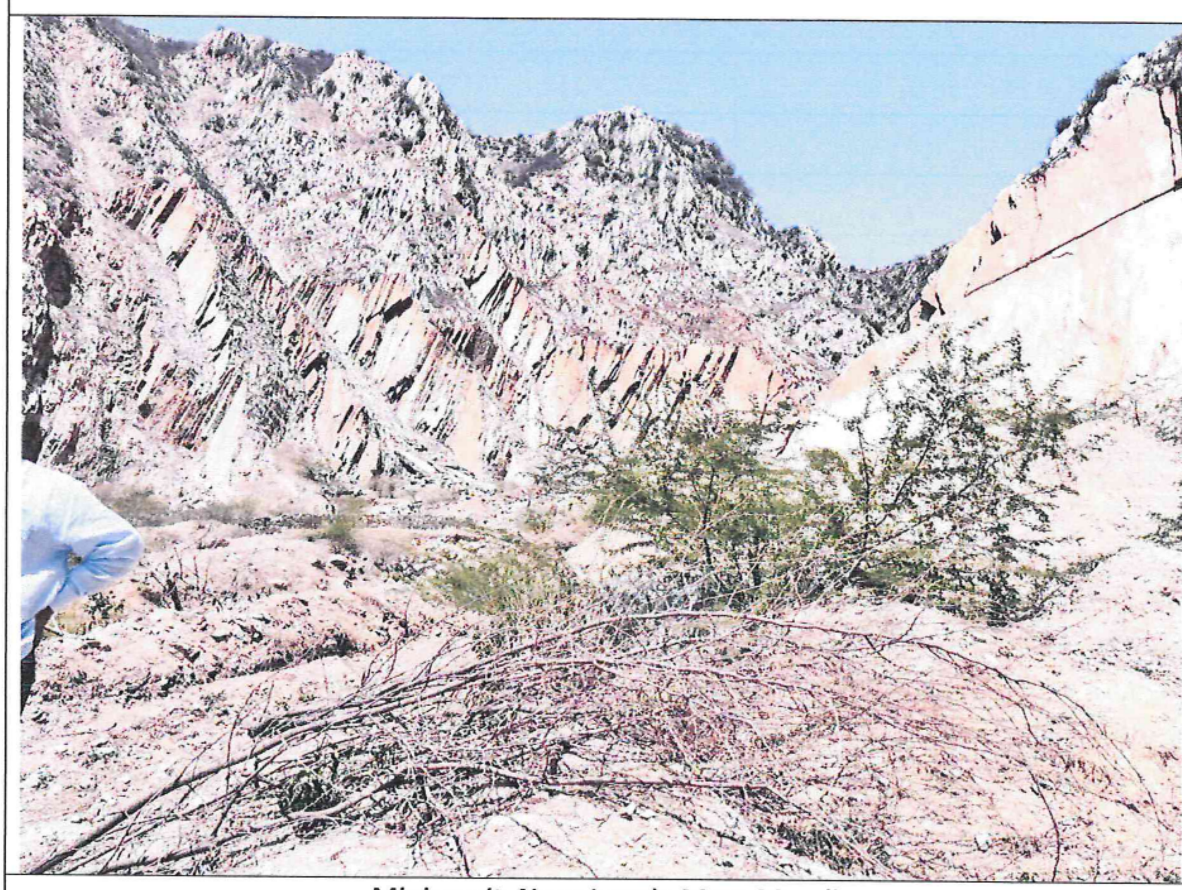

Mining pit Near Jawala Mata Mandir

Annexure -3

माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, सेंट्रल जोनल बेंच भोपाल मे दायर Original Application No. 43/2023 (CZ) (O.A. No.14/2024 PB) मे पारित आदेश दिनांक 01.04.2024 के क्रम मे वस्तुस्थिति रिपोर्टः–

माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, सेंट्रल जोनल बेंच भोपाल मे दायर Original Application No. 43/2024 (CZ) (O.A. No.14/2024 PB) मे पारित आदेश दिनांक 01.04.2024 की पालना मे गठित कमेटी द्वारा दिनांक 02.05.2024 को राजस्व ग्राम तीतरवाडा कलां तहसील सैंथल जिला दौसा के खसरा संख्या 1584 का मौका निरीक्षण किया गया। मौके पर पहुॅचकर श्री दुर्गाप्रसाद मीणा (सरपंच तीतरवाडा कला) से दुरभाष पर सम्पर्क कर, मौके पर उपस्थित होने बाबत् निवेदन किया गया, उनके द्वारा मौके पर पहुॅचने मे असमर्थता जाहिर की गई। उक्त खसरा राजस्व रिकार्डनुसार किस्म चारागाह है। उक्त खसरा पहाडी के रूप मे है। दो स्थानो पर पूर्व मे किया गया अवैध खनन देखा गया। निरीक्षण के दौरान अवैध खनन, मशीनरी का उपयोग, ब्लास्टिंग होना नही पाया गया। दोनो अवैध खनन पिटो के बीच मे ज्वाला माता मन्दिर है जिसमे मन्दिर मे दरार/क्षति होना नही देखा गया। इसके साथ ही खण्डरनुमा ढॉचा देखा गया, जिसके सम्बन्ध मे स्थानीय नागरिको द्वारा बताया गया कि यह रानी रत्नावती का महल था, मौका स्थिति से प्रतीत होता है कि उक्त ढॉचा बहुत वर्षो पूर्व ही क्षतिग्रस्त हो चुका है। उक्त खसरा मे लगे पिटो से 60–70 मीटर पर छितराई आवादी एवं लगभग 300 मीटर पर घनी आवादी देखी गई। स्थानीय निवासीयो द्वारा बताया गया कि गत 4–5 माह से उक्त क्षेत्र मे किसी भी प्रकार की खनन गतिविधी नही देखी गई है। मौके पर कमेटी के सदस्यो द्वारा सहायक खनि अभियन्ता, दौसा को उक्त अवैध खनन के पिटो तक पहुॅचने वाले रास्तो को खाई खुदवाकर कर अवरूद्व करने एवं अवैध खनन नही हो की सुनिश्चितता करने बावत् निगरानी बढाने हेतु निर्देशित किया गया। कमेटी द्वारा दिये गये निर्देशो की अनुपालना मे कार्यालय के खनि कार्यदेशक प्रथम द्वारा दिनांक 03.05.2024 को क्षेत्र का मौका निरीक्षण कर अवैध खनन के पिटो तक पहुॅचने वाले रास्तो को खाई खुदवाकर अवरूद्व किया गया (फोटोग्राफ संलग्न)। उक्त क्षेत्र मे अवैध खनन नही हो, की सुनिश्चितता करने बावत् कार्यालय आदेश 2397 दिनांक 03.05.2024 से 03 बोर्डर होमगार्ड खनि कार्यदेशक प्रथम के सुपरविजन मे क्षेत्र मे लगाये गये है (आदेश की छायाप्रति संलग्न)।

संलग्नः– उक्तानुसार।

6/5/24
(लक्ष्मीचन्द मीना)
सहायक खनि अभियन्ता, दौसा

Scanned with CamScanner

7.1

राजस्थान – सरकार

कार्यालय सहायक खनि अभियंता, दौसा

मौका रिपोर्ट

आज दिनांक 03/05/2024 को निरीक्षण ग्राम नीतरवाड़ा कला तहसील सैंथल जिला दौसा में स्थित खसरा संख्या 1584 में लगे अवैध खनन पिट्टो का आकस्मिक निरीक्षण किया। मौके पर उक्त खनन पिट्टो में खनन कार्य बन्द मिला एवं खनन पिट्टो का निरीक्षण करने ऐसा प्रतीत होता है कि उक्त क्षेत्र में खनन कार्य काफी समय से बन्द है। मौके पर उक्त खनन पिट्टो में जाने वाले रास्तो को JCB की मदद से खाई खुदवाई रास्ते कटवाये गये। उक्त क्षेत्र में अवैध खनन की रोकथाम हेतु तीन बॉर्डर होमगार्ड मौके पर तैनात किये एवं उक्त तीनों बॉर्डर होमगार्डो को निर्देश दिये कि उक्त क्षेत्र में किसी भी प्रकार का खनन कार्य न हो। मौका रिपोर्ट मौके पर बनाई जाकर पढ़कर, सुनाकर हस्ताक्षर करवाये गये।

Signature
MI-I
3/5/24

(signature) 468
(signature) 471 राजकुमार 463
(बॉर्डर होमगार्ड)

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

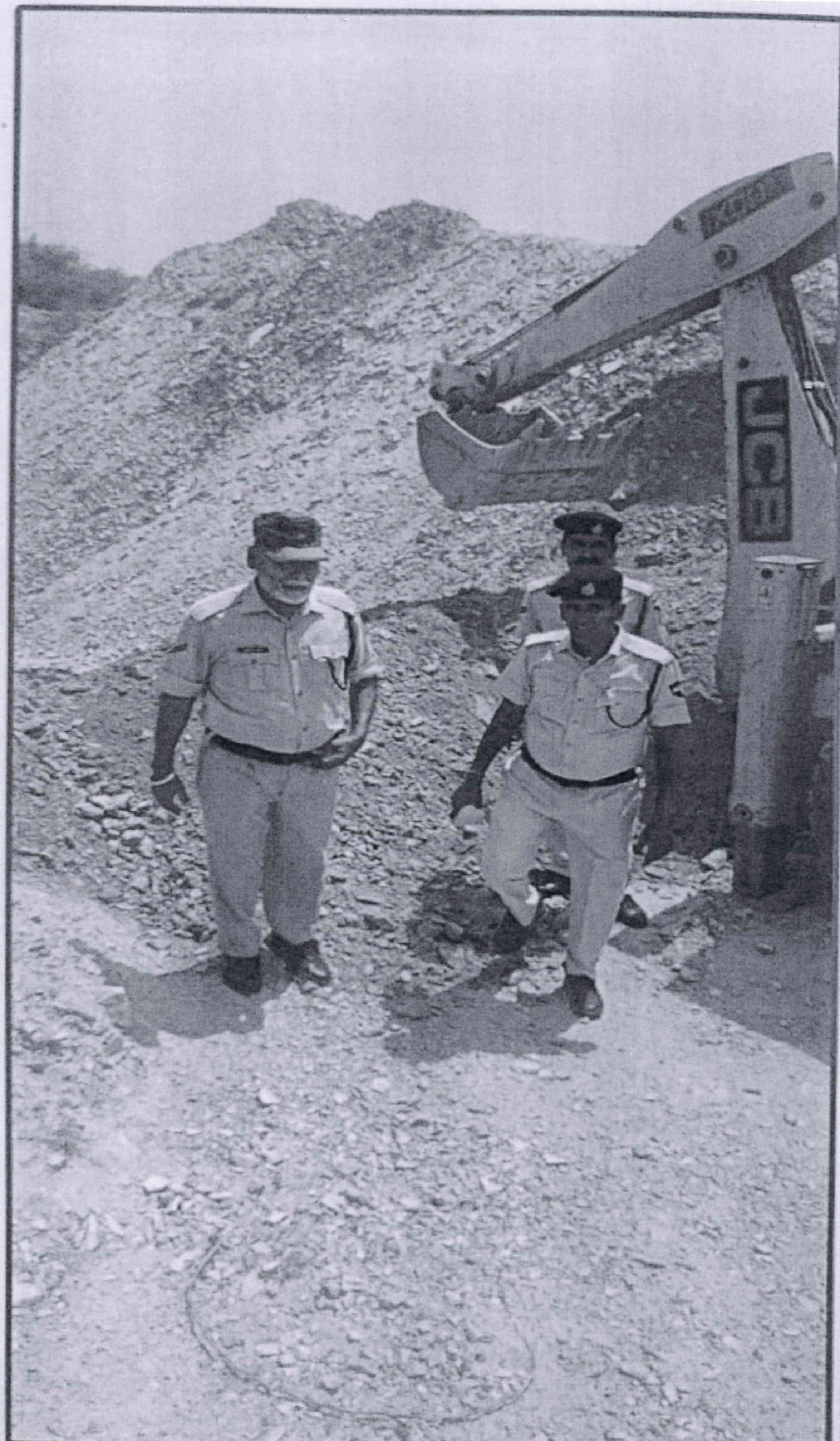

Scanned with CamScanner

राजस्थान सरकार

कार्यालय सहायक खनि अभियन्ता,खान एवं भू विज्ञान विभाग,दौसा

Email ame.dausa@rajasthan.gov.in Phone no. 01427-224765

क्रमांकः सखअ/दौसा/बो.होम/2024/2397

दिनांक 03-05-2024

कार्यालय आदेश

ग्राम तीतरवाड़ा कलां तहसील सैंथल जिला दौसा में खसरा संख्या 1584 व आस पास में अवैध खनन के संबंध मे माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण के समक्ष Original Application No. 43/2024 (CZ) प्रस्तुत की गई है। उक्त क्षेत्र से खनिज चेजा पत्थर का अवैध खनन/निर्गमन नही हो, की सुनिश्चितता करने बाबत् ग्राम तीतरवाड़ा कलां तहसील सैंथल जिला दौसा में निम्न बॉर्डर होम गॉर्ड को लगाया जाता है:-

1. श्री टीकुराम बैल्ट नम्बर SGT 471
2. श्री गुरमेल सिंह बैल्ट नम्बर CPL 488
3. श्री राजकुमार बैल्ट नम्बर VOL 463

(लक्ष्मीचन्द मीना)
सहायक खनि अभियन्ता, दौसा

क्रमांकः सखअ/दौसा/बो.होम/2024/2398-2410

दिनांक 03-05-2024

प्रतिलिपिः- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यावाही हेतु प्रेषित हैः-

1. श्रीमान जिला कलक्टर, दौसा
2. श्रीमान अधीक्षण खनि अभियन्ता, जयपुर वृत्त, जयपुर
3. श्रीमान उपखण्ड अधिकारी, सैंथल
4. श्रीमान क्षेत्रीय अधिकारी, रा.रा.प्र.नि. मण्डल जयपुर दक्षिण
5. श्रीमान तहसीलदार सैंथल
6. श्रीमान विकास अधिकारी, पंचायत समिति दौसा को प्रेषित कर निवेदन है कि खसरा संख्या 1584 किस्म चरागाह है, जिसकी देखरेख की जिम्मेदारी संबंधित ग्राम पंचायत की है यदि खसरा संख्या 1584 के अवैध खनन होता है, तो उसकी जानकारी तत्काल इस कार्यालय या मौके पर लगाये गये बोर्डरहोमगार्ड को देवे।
7. श्रीमान थानाधिकारी पुलिस थाना सैंथल को प्रेषित कर लेख हैं कि चैकिंग के दौरान या आवश्यक होने पर पुलिस जाप्ता उपलब्ध कराने का श्रम करावे।
8. सरपंच/ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत तीतरवाडा कलां तहसील सैंथल जिला दौसा को प्रेषित कर निवेदन है कि क्षेत्र मे खनिज चेजा पत्थर के अवैध खनन/निर्गमन की रोकथाम हेतु लगाये गये बोर्डर होमगार्डस के रहने हेतु ग्राम पंचायत मे आवश्यक व्यवस्था कराया जाना सुनिश्चित करावे।
9. श्री राकेश कुमार मीना, खनि कार्यदेशक I/श्री तीर्थराज चौहान खनि कार्यदेशक II को दी जाकर लेख है कि बॉर्डर होमगार्ड के कार्य करा सुपरविजन करेंगें तथा क्षेत्र में अवैध खनन/निर्गमन नहीं हो इसकी सुनिश्चिता करेंगें तथा रिपोर्ट कार्यालय में प्रस्तुत करेंगें।
10. श्री टीकुराम/श्री गुरमेल सिंह/श्री राजकुमार बॉर्डर होम गॉर्ड को पालनार्थ।

03.05.24
सहायक खनि अभियन्ता, दौसा

Scanned with CamScanner

कार्यालय–ग्राम पंचायत, तीतरवाड़ा कलाँ

पंचायत समिति–दौसा, जिला–दौसा (राज.)

प्रेषक :
सरपंच
दुर्गा प्रसाद मीना
मो. 9828345669

प्रेषित :- श्री उपखण्ड अधिकारी [illegible];
श्रीमान सहायक अभियन्ता जी;
खान एवं भूविज्ञान विभाग
दौसा

दिनांक 20-3-2024

क्रमांक :

विषय:- माननीय हरित न्यायाधिकरण सेन्ट्रल जोनल बेन्च भोपाल मैटर नं. OA 43/2023(CZ) OA. No 14/24 के सम्बन्ध में,

महोदय,

उपरोक्त विषय में निवेदन है कि हरित न्यायाधिकरण में, ग्राम तीतरवाड़ा कलाँ के खसरा नं. 1584, व आसपास के क्षेत्र में अवैध खनन के सम्बन्ध में OA प्रस्तुत की गई थी विगत कई महीनों से अवैध खनन पूर्णतया बन्द है अतः वर्तमान में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।

(दुर्गा प्रसाद मीना)
सरपंच
ग्राम पंचायत तीतरवाड़ा कलां
पं.स. दौसा जिला दौसा